कार्यालय अंचल अधिकारी, सिसई।

आदेश फलक

वाद का प्रकार :- विविध
वाद सं :- 05/20-21

इलियस लकड़ा वगै०
बनाम
जुबेल बाड़ा

27.05.2020	आवेदक इलियस लकड़ा वगै० ग्रामीण जनता ग्राम - सैन्दा, थाना - सिसई ने आवेदन दिया है कि जुबेल बाड़ा एवं उनके पुत्रों - प्रवीण बाड़ा, प्रेप्रकाश बाड़ा, प्रमोद बाड़ा के नाम से मौजा - सैन्दा के खाता संख्या - 99, प्लॉट संख्या - 774 की कुल रकबा 8.00 एकड़ भूमि की बन्दोबस्त की गई है। बन्दोबस्त भूमि की जाँच कर बन्दोबस्त निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। यह भी आवेदित है कि जुबेल बाड़ा द्वारा अन्य ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, धमकी दी जाती है एवं गाली-गालौज किया जाता है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। खास नोटिश निर्गत करें। दिनांक 12.06.2020 को रखें। अंचल अधिकारी, सिसई।
12.06.2020	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। सुनवाई के क्रम में जुबेल बाड़ा द्वारा जुबेल बाड़ा, प्रेमप्रकाश बाड़ा, प्रवीण बाड़ा एवं श्री प्रमोद बाड़ा के नाम से बन्दोबस्ती से संबंधित लाल पर्चा की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। श्री जुबेल बाड़ा द्वारा बयान अंकित कराया गया कि गांव वालों की ही मदद से इनके द्वारा खेत बनाया गया था परन्तु वर्तमान में गांव वालो के द्वारा आपत्ति किया जाता है। इनके द्वारा किसी को धमकी नही दिया जाता है। वर्ष 1993-94 में इनके नाम एवं इनके पुत्र प्रवीण बाड़ा, प्रमोद बाड़ा एवं प्रेम प्रकाश बाड़ा के नाम से बन्दोबस्ती हुई। इनका दखल-कब्जा बन्दोबस्ती किये गये भूमि की रकबा - 8.00 एकड़ पर ही है। इससे अलग भूमि पर इनका कब्जा नही है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार विषयगत भूमि मौजा - सैन्दा खाता सं० - 99, प्लॉट सं० - 774 की कुल रकबा - 23.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास अन्तर्गत है। पंजी - II में जुबेल बाड़ा, प्रवीण बाड़ा, प्रेम प्रकाश बाड़ा एवं प्रमोद बाड़ा प्रत्येक के नाम से 2.00 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है। ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि जिस समय जुबेल बाड़ा के पुत्रों के नाम से बन्दोबस्ती हुई थी उस समय जुबेल बाड़ा के पुत्रगण नाबालिग थे। अभिलेख आदेशार्थ रखें। अंचल अधिकारी, सिसई।

Scanned with CamScanner

8.09.2020

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। अवलोकन किया। राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक के प्रतिवदेन के अनुसार प्रेम प्रकाश बाड़ा एवं जुबेल बाड़ा के नाम से बन्दोबस्त हुई भूमि की लाल पर्चा एवं पंजी – II में अंकित केश नम्बर एवं वर्ष में भिन्नता है। ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया है कि भूमि बन्दोबस्ती के समय जुबेल बाड़ा के पुत्रगण नाबालिग थे।

अतः इलियस लकड़ा एवं अन्य ग्रामीण बन्दोबस्ती से असंतुष्ट हों तो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के न्यायालय में बन्दोबस्ती रद्द करने हेतु अपील दायर कर सकते हैं।

18/09/2020

अंचल अधिकारी,
सिसई।

Scanned with CamScanner